

SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

Member: NSE · BSE · MSE · NCDEX · MCX

Clearing & Trading Member: Cash, F&O, Currency, Debt & Commodity SEBI Regn. No.: INZ 000199438 · Research Analyst No.: INH100001849

Regd. Office: 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Ph: +91-11-30111000, 40753333 Fax: +91-11-25754365 • CIN No.: L74899DL1994PLC063609

E-mail: smc@smcindiaonline.com Website: www.smcindiaonline.com

Dated: 01/03/2024

	Listing Operations	Listing Department	
1	BSE Limited, P] Towers, Dalal Street,	National Stock Exchange of India Limited	
	Mumbai -400001, India	Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla	
		Complex, Bandra, (E) Mumbai - 400051	
	Scrip Code: 543263	Symbol: SMCGLOBAL	

Sub: Newspaper Advertisement requesting the Shareholders of the Company to claim unpaid/unclaimed Dividend and Equity Shares due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account.

Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ("the Rules") and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith the copy of the Newspaper Advertisement published on 01st March 2024, w.r.t the notice sent to the shareholders of the Company requesting them to claim the unpaid/unclaimed dividend and the corresponding equity shares pertaining to the Final Dividend of F.Y 2016-17, due for transfer to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) Authority on 29th August 2024.

The Newspaper Advertisement has been published in following newspapers:-

- a) Financial Express in English
- b) Jan Satta in Hindi

The newspaper copies will also be made available on the Company's website at the following web link www.smcindiaonline.com.

You are requested to kindly take above information on your records.

Yours sincerely,

Thanking you,

For SMC Global Securities Limited

Suman Kumar E.V.P. (Corporate Affairs & Legal), Company Secretary & General Counsel Membership No. F5824

MUMBAI OFFICE : A Wing, 401/402, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Off Western Express Highway, Jay Coach Signal, Goregaon East

Mumbai-400063 Ph: +91-22-67341600, 66481818 Fax: +91-22-67341697 E-mail: smcmumbai@smcindiaonline.com

KOLKATA OFFICE: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No. 4, 5th Floor, Kolkata - 700001 Ph: +91-33-66127000 Fax: +91-33-66127004

E-mail: smckolkata@smcindiaonline.com



FINANCIAL EXPRESS

GLOBAL ANALYSIS BY THE LANCET

India's young weighed down by rising obesity

ANURADHA MASCARENHAS Pune, February 29

INDIA COULD BE facing an obesity epidemic, with alarm bells ringing, particularly for the young. A new global analysis, published by The Lancet, found that 12.5 million children (7.3 million boys and 5.2 million girls) in the country, aged between 5 and 19, were grossly overweight in 2022, up from 0.4 million in 1990.

The report showed more than 3% prevalence among children and teens, an increase of over three percentage points from 1990.


Obesity is also a concern among adults, with female obesity prevalence increasing sharply — women had a 9.8% prevalence, an increase of 8.6 percentage points from 1990. For men, this number stood at 5.4%, an increase of 4.9 percentage points.

Obesity, as defined by the World Health Organisation (WHO), is an abnormal or excessive accumulation of fat that presents a risk to health.A body mass index (BMI) over 25 is considered overweight and over 30 is obese.

The new study reveals that 44 million women and 26 million men aged above 20 in India were found to be overweight, this figure being 2.4 million women and 1.1 million men in 1990. India ranks 182 among 197 countries for the prevalence of obesity in women and 180 for men in 2022. The country ranked 174 in the world for both girls and boys.

This finding is significant at a time when India already has a high burden of non-communicable diseases — heart disease, strokes, and diabetes topping them.Obesity is a major risk factor and a trigger for early onset of these diseases, even Type 2 diabetes among teens.

THE OBESITY NUMBERS WORLD



Dr Guha Pradeepa, coauthor of the study and head, department of research operations and diabetes complications at the Madras Diabetes Research Foundation, flags that the primary drivers of the obesity epidemic in India are a shift in diet choices away from traditional foods and physical inactivity.

"We have shifted away from whole foods such as pulses, whole grains, fruits, and vegetables. Our traditional food was low on animal products, salt, refined oils, sugars, and flours, but we have now moved towards a diet that is high in energy but low in nutrients — refined carbohydrates, high fat, meat products, and processed foods. In addition, a range of behavioural factors could also have a potential effect on obesity among children," says Dr Pradeepa.

The study also flags severe under-nutrition in the country among all age groups. India ranks the highest in the world for underweight girls and the

second highest for boys. Obe-

sity and underweight are both

forms of malnutrition. These

two divergent peaks show that

India has a double burden of

both thinness and obesity,

which remains a significant

health challenge in the country. Analysing the study, senior author and Professor of Imperial College, London, Majid Ezzati says India has a big challenge in tackling both kinds of malnutrition — that of the under-fed and the overfed. "To successfully tackle both forms of malnutrition, it is vital we significantly improve the availability and affordability of healthy, nutritious foods. We need to contain the epidemic of obesity that was evident among adults in much of the world in 1990 and is now mirrored in school-aged chil-

dren and adolescents." In India, about 35 million girls and 42 million boys between five and 19 years were underweight in 2022, compared to 39 million girls and 70 million boys in 1990 (a seven-

percentage-point dip for girls and a 23-percentage-point dip for boys). Among adults too, 61 million women and 58 million men were underweight in 2022, a drop from 41.7% in 1990 to 13.7% for women and 39.8% to 12.5% formen.

Experts say these trends can, however, be reversed with targeted interventions.

Eating behaviour involves snacking, patterns of restrained eating, dieting, binge eating and dining out. "Consumption of added sugars plays a significant role in driving obesity, particularly when ingested through beverages like sodas, sweetened coffee, tea and juices," says Dr Pradeepa.

She feels that addressing obesity in adolescents requires a multi-faceted approach that involves government policy, community initiatives and individual actions. "At least 60 minutes of physical activity per day is recommended to be fit and healthy. The sale of unhealthy foods and beverages to children, restricting junk food advertisements targeted at children, clear nutritional labelling and promoting healthier options at school cafeterias are a must. Also, increase access to affordable and healthy food options," Dr Pradeepa adds.

Parents should also involve children in their daily household chores. "Children are spending their time sitting for long hours at school, returning by bus/car/auto/scooter/van, spending time in front of TV /and playing with gadgets at home. They need to eat healthy food and regularly go for a health screening," says Dr Avula Laxmaiah, former Director, Grade Scientist and Head of Public Health Nutrition, ICMR-National Institute of Nutrition. Hyderabad, who is also among

the study authors.

Delhi cricket association sits on report that flagged what's wrong

NIHAL KOSHIE New Delhi, February 29

THE DELHI DISTRICT Cricket Association (DDCA) has a "compromised and conflicted" selection process that bypasses the chief selector and is marked by "rampant interference" of its officials. This is the key point flagged

in a scathing indictment by DDCA's Technical Expert Group (TEG) in the wake of Delhi's dismal showing last season. The group, chosen by DDCA, includes two 1983 World Cup winners Madan Lal and Sunil Valson and first-class player Vinay Lamba, was set up before the start of the 2022-23 season.

Delhi had finished sixth in Group B in last season's Ranji Trophy and failed to qualify for the knockouts this season too.

The TEG report, submitted last March, is part of a police complaint filed in December 2023 at the IP Estate Police Station by one Avdesh Sharma, that names top DDCA officials accusing them of mismanagement and corruption.

According to the TEG report, DDCA joint-secretary (Rajan Manchanda) told the TEG that he was only following instructions of president Rohan Jaitley. Lamba, a member of the TEG, confirmed that the issue was "related to team selection." On Page 2, the report also mentions that TEG that they were "everyone had a direct line to following my the president (Jaitley)."

When contacted, Madan Lal and Lamba confirmed that the report was emailed to DDCA president Jaitley. "Acopy was emailed to DDCA president Rohan Jaitley and secretary Siddharth Sahib Singh,"

Lal told *The Indian Express*, "Whatever we have mentioned in the report, I stand by it. Our aim of conducting the review was to inform the association about how to improve the standard of Delhi cricket. We have spoken to selectors and



coaches and a couple of senior players and after that we prepared this report. Whatever is in the report is what they have told us."

Asked about these allegations, Jaitley said: "The TEG members met me before they were to submit the report. But I never got the report. If I had read the contents of the report and there were major issues, then I would have referred it to the Apex Council."

On the issue of his alleged interference in team selection as flagged by the TEG report, Jaitley said: "If people told the instructions for team selection,

why didn't the TEG ask me for my version? The TEG didn't give me an opportunity to speak. Anyone can say anything, but it need not be the truth. I am willing to talk to the TEG members and discuss their findings. I am all for implementing reforms in Delhi cricket."

Lamba said that the findings in the report were painstakingly put together but it seems to have been brushed under the carpet. "We told them (DDCA officebearers) that they should go through it thoroughly and try to bring about changes. The TEG report was not meant to target a person but for the betterment of Delhi cricket. We emailed the report to the president and secretary. We (TEG) were given the responsibility by them. But got no response," he said.

Lamba said that the TEG had dissuaded selectors from picking jumbo teams for tournaments.

the

In November,

for the Vijay

Trophy had

an extra 23

were asked to

(Under-16)

Merchant

team

Delhi had finished sixth in Group B in last season's Ranji Trophy and failed to qualify for the knockouts this season too

> ups in case of injury. Jaitley, however, said the additional players were called up because of fitness issues

register themselves as back-

and the age verification. "We had made it very clear that the culture of sending jumbo teams — 24 to 30 players — had to stop," Lamba said.

Lal added that DDCA didn't get in touch with TEG members before the start of the cur-

"This year when the season started we were not called, so I think DDCA decided to discon-

tinue our services," Lal said. In an email, DDCA's Interim CEO and GM RR Singh

said Sharma "lacks credibility". "The complaint relies upon a purported report of a Technical Expert Group (TEG). It is made clear that no such report has been received by the DDCA from the TEG. The veracity of the purported report is (under) doubt," Singh wrote.

The email also stated that Sharma was trying to "arm twist DDCA" to get his son and nephew selected in the team.

"It is pertinent to point out herein that Mr. Avdesh Sharma is facing a criminal complaint (along with his wife Mahima Sharma and son Anirudh Sharma) of age fraud by falsifying the age record... The Hon'ble Ombudsman DDCA is seized of the complaint. The Delhi Police is investigating a Complaint dated 09.02.2024 by a third party who has acted as a whistleblower. DDCA had received a notice dated 20.02.2024 from the investigation officer seeking relevant information and records from the DDCA in this regard which have been furnished on 22.02.2024."

A senior police officer said an inquiry was conducted following Sharma's complaint.

"The Supreme Court-21 players but appointed Ombudsman may be the right forum for such a complaint. We did not find any specific cognizable offence. We have also received a complaint from the DDCA against the complainant (after he filed a complaint against them) and are enquiring into it," the officer said.

> When contacted, Sharma said he did not want to com ment on the allegations related to his son. "I filed the complaint but didn't pursue it as that is the job of the police, Sharma said on Thursday.

TENNECO FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

Registered Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F- 79 & 80, Okhla Phase- I, New Delhi- 110020 Corporate Office: 10" Floor, Paras Twin Towers, Tower- B, Sector- 54, Golf Course Road, Gurugram-122002 Website: www.federalmogulgoetzeindia.net; Tel.: +91 124 4784530; +91 11 49057597, E-mail: investorgrievance@tenneco.com

CIN: L74899DL1954PLC002452

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and other applicable laws Rules and Regulations, if any, Federal-Mogul Goetze (India) Limited ("the Company") hereby seeks approval of the Members of the Company by way of Special Resolutions through Postal Ballot via remote e-voting only ("remote e-voting") as stated in the Notice of Postal Ballot issued on 29" February, 2024 (the "Notice"). The Notice is available on the website of the Company at http://www.federalmogul goetzeindia.net and on the Websites of stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited a www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively. Members are hereby informed that:

In compliance of the relevant circulars of issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard, the Company has completed the dispatch of the Notice (containing draft resolutions along with the explanatory statement, and procedure of remote e-voting) to the Members on Thursday, 29" February, 2024 via electronic mode only Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre - paid business reply envelope has not been sent to the members. Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting only.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members through National Securities and Depository Limited (NSDL), to cast to cast their votes electronically on the resolution as set forth in the Notice. For detailed instructions on remote e-voting procedure, members are requested to refer instruction/notes in the

Notice has been sent to all the Members, whose names appear in the Register of Members/beneficiary position maintained by the depositories as on Friday, 23"February, 2024 ("Cut-off Date") and who have already registered their e-mail address with the Depositories/their depository participant/the Company's Registrar and Share Transfer Agents ("RTA") i.e., Alankit Assignment Limited/the Company or who will register their e-mail address with (Alankit Assignment Limited), on or before 5:00 p.m. (IST) on 30"

The voting rights of members shall be in proportion to their holding of equity shares with paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off Date. A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat the Notice for information purpose only.

The remote e-voting starts from Friday, 1" March, 2024 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Saturday, 30" March, 2024 at 05:00 P.M (IST). Therefore, voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by member, the member cannot modify it subsequently.

In case of any query and/or grievance pertaining remote e-voting, Members, may email to investorgrievance@tenneco.com.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the RTA at rta@alankit.com. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the

relevant Depository Participants. The Company has appointed Mr. Abhishek Bansal, Advocate, to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process, in a fair

and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be announced on or before 1" April, 2024, 05:00 P.M. (IST). The said result along with the Scrutinizer's report will be , hosted at website of the Company i.e. http://www.federalmogulgoetzeindia.net and on website of NSDL i.e. https://nsdl.co.in. The result will also be intimated simultaneously to the Stock Exchanges. For Federal-Mogul Goetze (India) Limited

(Dr. Khalid Igbal Khan) Whole-time Director-Legal & Place: Gurugram Company Secretary Dated: 29.02.2024

vens Pipes & Tubes Limited (Formerly Known as Venus Pipes & Tubes Private Limited)

(CIN: L74140GJ2015PLC082306) Regd. Off.: Survey No. 233/2 and 234/1 Dhaneti BHUJ Kachchh GJ -370020 IN Phone No.: +91 2836 232 183/84 | Email Id: cs@venuspipes.com Website: www.venuspipes.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ('Act') (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules', Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') for holding general meetings/ conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively the 'MCA Circulars'), to transact the special business as given below by passing Special Resolution through postal ballot by

S.No. Type of Resolution Special Resolution | To consider & approve the issuance of Warrants convertible

into Equity Shares of the Company on a Preferential Basis In line with the MCA Circulars, the Company has dispatched the Postal Ballot Notice "Notice") along with the explanatory statement on Thursday, February 29, 2024 only in electronic form to those members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the Depositories/Registrar and Transfer Agent ('RTA' as on Friday, February 23, 2024 ('Cut-Off Date') and whose e-mail addresses are registered with the Company/ RTA/ Depositories. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and postage prepaid self-addressed Envelope is not being

the Members would take place only through remote e-voting In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Act read with the Rules, the MCA Circulars and SS-2, the Company is providing remote e-voting facility to its members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the Postal Ballot Form physically The Company has engaged the services of Kfin Technologies Limited ('Kfintech') for the purpose of providing remote e-voting facility to its members. The instructions for remote evoting are provided as part of the notice which the members are requested to read carefully

sent to the Members for this Postal Ballot. The communication of the assent or dissent of

Members may download the Notice from the Company's website at https://www.venuspipes.com/wp-content/uploads/2024/02/postal-ballot-notice-issue-ofwarrant.pdf or from Kfintech's website at https://evoting.kfintech.com/ . A copy of the Notice is also available on the website of BSE at https://www.bseindia.com/ and NSE at www.nseindia.com.

All members are further informed that:

 The remote e-voting shall commence on Friday, March 01, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and shall end on Saturday, March 30, 2024 at 5.00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company holding shares in physical or electronic form as on the Cut-Off Date may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Kfintech for voting thereafter.

 The cut-off date for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting is Friday, February 23, 2024.

. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA, KFin Technologies Limited, (Unit: Venus Pipes & Tubes Limited) Selenium Building, Tower-B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda,

. The Board of Directors of the Company at their meeting held on Wednesday, February 28, 2024, have appointed Mr. Piyush Prajapati, Proprietor of Piyush Prajapati & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot by way of remote e-voting in a fair and transparent manner. After completion of the scrutiny of the electronic votes, the Scrutinizer will submit his report

to the Chairman. The results of the Postal Ballot along with Scrutinizer's Report will be announced within two working days of the conclusion of Postal Ballot through remote evoting. The said results would be displayed at the Registered Office of the Company and on its website at www.venuspipes.com and simultaneously intimated to Kfintech, BSE Limited ("BSE") National Stock Exchange of India Limited ('NSE'). The Scrutinizer's decision on the validity of votes cast will be final

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com/or call KFin Technologies Limited on 1800 309 4001 (toll free). For Venus Pipes & Tubes Limited

Pavan Kumar Jain (Company Secretary and Compliance Officer) Date: 29/02/2024 Membership No.: A66752

LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED Regd Office: SRK Vidyalaya Post Perianaickenpalayam, Coimbatore -641020

CIN-L29269TZ1962PLC000463 NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate of the Company has

остторо	controportou to be lost/ miliopiaceu.				
Folio No	Name	Certificate	Distino	tive Nos.	No. of
0110 110	ramo	No(s).	From	То	Shares
SRIN/83	SRINIVASAN K V	11618	11674571	11676490	1920

The Company will consider issue of a duplicate share certificate consisting of 1920 shares of face value of Rs 10/- each. Objections if any may be submitted in writing at the Registered Office of the Company within 15 days of publication of this Notice

Coimbatore 29.02.2024

SMC Global Securities Limited

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares and unpaid/unclaimed dividend pertaining to Final Dividend of the F.Y. 2016-2017 of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time (the "Rules"), the equity shares of the Company with respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven (7) consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of the Investor Education and Protection Fund Authority (the "Authority"). In this regard the Final dividend of F.Y 2016-2017 declared by the Company is becoming due for transfer to the Authority on or after 29th August, 2024 In this regard the unclaimed / unpaid dividend pertaining to the Final dividend for the F.Y 2016-2017 is also due for the transfer. In compliance with the Rules the Company has sent individual communications to the

concerned shareholders at their latest available address to claim such dividend(s) and corresponding shares. This communication is addressed to those shareholders whose shares are liable to be transferred to the Authority during financial year 2024-2025 for

The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names folio number or DP ID & Client ID and equity shares due for transfer to the Authority on its website https://smcindiaonline.com/. Shareholders are requested to refer to the said website to verify the details of unpaid/unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the Authority.

The concerned shareholders, holding equity shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for converting the said shares into demat form, after following the procedures as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs. Thereafter, the said shares would be transferred in favour of the Authority. The original share certificate(s) registered in the name of the shareholder(s) will stand automatically cancelled.

For the equity shares held in demat form, the Company would inform respective depository by way of corporate actions, where the shareholders have their account for the transfer of such shares in favour of the Authority. In case the Company does not receive any communication from the concerned

shareholders on or before 27th August, 2024. The Company without any further notice shall in compliance with the Rules, transfer such shares and dividend to the Authority by the due date in accordance with the procedure stipulated in the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares

transferred to the Authority. However, the unclaimed dividend and shares transferred

to the Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the concerned shareholders from the Authority after following the procedure prescribed by the Rules. For more details please refer www.iepf.gov.in and also on Company website at https://smcindiaonline.com/. In case of any queries in respect of the above matter, shareholders may contact the

Registrar and Transfer Agent of the Company, Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel No. 011-41410592-94, E-mail id: delhi@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in.

For SMC Global Securities Limited

(Suman Kumar) E.V.P. (Corporate Affairs & Legal), Company Secretary & General Counsel Date: 29th February, 2024 Place: New Delhi

Registered Office- 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005 Ph; +91-11-30111000, 40753333 | Fax; +91-11-25754365 E-mail: smo@smcindiaonline.com | Website: www.smcindiaonline.com

Corporate Identity Number (CIN: L74899DL1994PLC063609)

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

JJM-Thrikkaruva, Chithara panchayath - Construction of OHSR, laying RWPM CWPM, replacement of existing AC transmission main and allied works EMD Rs. 500000 Tender fee: Rs. 16540+2978 Last Date for submitting Tender 15-03-2024 02:00:pm Phone: 0474 2745293 Website: www.kwa.kerala.gov.in

Superintending Engineer

KWA-JB-GL-6-2510-2023-24

Kollan

CIN No.: U51506TN2002PLC048598

ingambakkam, Chennai - 600 034. Phone : 044-4206 8316. email : cs@rox.co.in, Website : www.rox.co.in NOTICE OF THE (4/23-24) EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (EGM), INFORMATION OF REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that the (4/23-24) Extraordinary General Meeting

ROX HI-TECH LIMITED

"EGM") of ROX HI-TECH LIMITED (the "Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Thursday, 28th day of March 2024 at 11:30 a.m. (IST) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI isting Regulations") read with the general circulars in respect of on holding of EGM through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") from time to time to transact the business listed in the Notice convening the EGM of the Company. The members will be able to attend the EGM through VC/OAVM at https://www.evoting.nsdl.com/ Members participating in the meeting through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

in compliance with the MCA Circulars, the Notice of the EGM have been sent only by email to all those Members, whose email ids are registered with the Depository Participants. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at https://www.rox.co.in/ on the vebsite of the E-voting Partner National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares as on March 22, 2024 (cut-off date) for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of EGM through the electronic voting system provided by NSDL. The voting rights of members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the EGM and the members attending the EGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the EGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the EGM for nformation purposes only. In case a person has become a member of the Company after dispatch of EGM Notice, but on or before the cut-off date for e-Voting, i.e. March 22, 2024 such person may obtain the User ID and Password from NSDL by e-mail request on evoting@nsdl.co.in for all

future communication. The instructions for joining the EGM of the Company and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through electronic

means at the said EGM are provided in the Notice convening the EGM. The remote e-voting period commences on March 25, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on March 27, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During the remote e-voting period, members of the Company holding shares as on the cut-off date may cast their votes electronically. The votes once cast by the

members, cannot be changed or cancelled. The Company has appointed S Sandeep, Practicing Company Secretary, Chennal having Membership number: 5853 / CP. No. 5987 to act as Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and voting during the EGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances pertaining to remote e-Voting (before/ during the EGM), you may refer to the Frequently Asked Questions for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013 or call on the toll-free number 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact: Ms. Prajakta Pawle - 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

Date: 29.02.2024 Place: Chennai

New Delhi

Thenmozhi Company Secretary & Compliance Officer

for ROX HI-Tech Limited

financialexp.epapr.in

Membership No. F5993

Place: Dhaneti

▲ इलाहाबाद

Indian Bank ALLAHABAD

अंबल कार्यालय : मुंबई पश्चिम, रिकवरी विभाग:- पहली मंजिल, बी-विंग, 101, निवो विक्रम सीएवएसएल, सहकार नगर, न्यू लिंक रोड, अधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 0581

ई-नीलामी 15.03.2024 को सुबह 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से "जो है यही है", "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार के तहत

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(री) एवं जमानती(यी) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास वंधक/प्रभारित नीचे वर्णित क्षचल सम्पत्ति/यी, विसका सांकेतिक कब्जा इण्डियन बैंक, प्रतिभूत क्रेडिटर

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वितीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की सिक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सचना

के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री बकायों की वसुली हेतु 15.03.2024 की ''जो है बही है'', ''जहाँ है जैसे हैं'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी।

दस्तावेज, सम्पत्ति तथा निरीक्षण की तिथि एवं समय जमा धरोहर राशि : 14.03.2024 को

家. 材.	कर्जदार का नाम	सम्पति का विवरण (कब्जे की रिश्रति) सम्पत्ति आईदी	प्रतिभृत ऋण की सङ्गि	आरक्षित मूल्य (आर.पी.) जमा धरोहर राशि 14.03.2024 तक	शास्त्रा पता एवं बिकी विवरण हेतु सम्पर्व विवरण
1	मैससं स्वाइट रोज क्रिएप्रान्स	 सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत संपत्ति संख्या 1133 से 1135, रेलचे रोड के पीछे, लाक लाल कॉम्प्लेक्स के पास, एमसी लिमिट पालीपल के अंदर (सॉकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)। कब्जा- सांकेतिक संपत्ति आईडी- IDIBAEWC01 	29.08.2023 सक रु. 3,17,08,693/- (रुपये तीन करोड़ सत्रह लाख आट हजार छह खी तिरानचे मात्र) अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च के साथ	रु. 2,36,00,000 .00 (रुपये दो करोड़ सोलह लाख मात्र) रु. 21,60,000 (रुपये इक्कोस लाख साठ हजार मात्र)	11/12, माधव नगर, एस वी रोड, अधेरी (पश्चिम), 400058 शास्त्रा– अधेरी शास्त्रा प्रमुख-रामेश्वर सास्त्र प्रजापत मोबा.– 7568507016

अधिक विवरण तथा नियम एवं शर्तों को डाउनलोड करने हेतु कृपया देखें : (i) https://www.indianbank.in, (ii) https://www.mstcecommerce.com, (iii) https://www.ibapi.in. ई-नीलामी हेतु प्लेटफॉर्म (https://www.msteecommerce.com) हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैससं एमसीटीसी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जे.सी. बीस रोड, कोलकाता-700020 (फोन और टोल फी नंबर 079-41072412/411/413 सा 1800-103-5342 पर संपर्क करें) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

संभावित बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण नोटः (https://www.msteecommerce.com के माध्यम से ई-नीलामी, पंजीकरण इच्छक बोलीदाता द्वारा ईएमडी तिथि पर या उससे पहले पूरा किया जाना चाहिए और ग्लोबल वॉलेट में ईएमडी शेष होना चाहिए।) बोलीदाता को पूर्व में ही निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करना होगा:- चरण 1: बोलीदाता/क्रेता पंजीकरण - बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल (लिंक कपर दिया गया है) http://www.msteecommerce.com (यानी https://www.msteecommerce. com/auctionhome/ibapi/) पर पंजीकरण करना होगा। चरण 2: केवाईसी सत्यापन - बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (2 कार्य दिवस लग सकते हैं) । चरण 3: ईएमडी राशि को उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित करना: ई-नीलामी पोर्टल पर स्रवित चालान का उपयोग करके एनईएफटी / ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन / ऑफ-लाइन हस्तांतरण। चरण 1 से चरण 3 तक बोलीदाता को ईएमडी तिथि से पहले या उससे पहले ही पूरा कर लेना चाहिए।

तिथि : 01.03.2024 इंडियन बैंक, अधिकृत प्राधिकारी स्थान : मुम्बई ध्यान दें: यह उपरोक्त ऋण के कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता के लिए उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर इस बिक्री के आयोजन और अन्य विवरणों के बारे में एक नोटिस भी है।

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड 22 दिसंबर, 2023 की पोस्टल बैलट अधिसूचना का शुद्धिपत्र

होनासा कंज्युमर लिमिटेड के शेयरधारक,

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ('कंपनी') ने कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके कुछ समय के लिए पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-2'), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 ('सेबी एसबीईबी और एसई विनियम') तथा अन्य प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अनुसार, पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से विशेष प्रस्तावों के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों का अनमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों को व्याख्यात्मक विवरण के साथ 22 दिसंबर, 2023 को पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा गया है।

यह शुद्धिपत्र कंपनी के शेयरधारकों को 22 दिसंबर, 2023 के पोस्टल बैलट नोटिस की निरंतरता में जारी किया जा रहा है ताकि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनसार उक्त पोस्टल बैलट नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण में अतिरिक्त विवरण प्रदान किया जा सके।

हम कंपनी के सभी शेयरधारकों का ध्यान उस व्याख्यात्मक विवरण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो 22 दिसंबर, 2023 के पोस्टल बैलेट नोटिस का हिस्सा है और 29 दिसंबर, 2023 को कंपनी के शेयरधारकों को वितरित किया गया है। कंपनी ने 22 दिसंबर, 2023 को होनासा कंज्यूमर लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना-2018 और होनासा कंज्यूमर लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना-2021 के अनुसमर्थन के लिए पोस्टल बैलट नोटिस को मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, एक अनजानी त्रुटि के कारण, प्रस्तावित और दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या का विवरण छूट गया था और उक्त पोस्टल बैलट नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण में इसका खुलासा नहीं

बेहतर स्पष्टता और समझ के लिए, मद नंबर 1 और 2 के संबंध में व्याख्यात्मक कथन के बिंदु संख्या 1 के तहत संशोधित ''प्रदत्त विकल्पों की कुल संख्या और जारी और आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या'' को इस प्रकार पढ़ा जाए:

l		
I	1	विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं. 1 एवं 2:
I		1. योजना का संक्षिप्त विवरणः
I		दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए
I		जाने वाले इक्विटी शेयरः
I		एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के प्रयोग के
I		अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या
I		कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 1% (एक
I		प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी, जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- (दस

पोस्टल बैलट नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण की सामग्री

रुपये मात्र) प्रति शेयर है।

को छोड़कर, अपरिवर्तित रहेंगी।

दिनांक: 28 फरवरी, 2024

स्थानः गुरूग्राम

क्र.सं. पोस्टल बैलट नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण की सामग्री

विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं. 1 एवं 2: 1. योजना का संक्षिप्त विवरणः

दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरः निम्नलिखित पैरा के पूर्व :

किया गया परिवर्द्धन/स्पष्टीकरण

'एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के प्रयोग के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 1% (एक प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी, जिसका अंकित मृल्य रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति शेयर है।'' निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा

कंपनी की दोनों योजनाओं के तहत दिए जाने वाले विकल्पों और जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कल संख्या निम्नानसार होगी:

विवरण	ईएसओपी पूल* (विकल्पों की संख्या)
कंपनी की दोनों ईएसओपी योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रारंभिक ईएसओपी पूल	1,29,00,000
आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों, प्रयोग किए गए और आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	44,80,092
आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों की संख्या (प्रयोग और आवंटन के लिए लंबित)। ईएसओपी 2018 योजना के तहत - 46,12,971 और ईएसओपी 2021 योजना के तहत - 2,22,999 दोनों योजनाओं के तहत दिए गए कुल विकल्प 48,35,970 हैं।	48,35,970
व्यपगत हुए और वापस पूल में जोड़े गए विकल्पों की संख्या	0
आईपीओ के बाद नए अनुदान के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या	35,83,938

किया गया परिवर्द्धन/स्पष्टीकरण

*पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के अनुसार।

बेहतर स्पष्टता और समझ के लिए, मद संख्या 3 और 4 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण के संशोधित बिंदु संख्या 2 ''दी जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या" को इस प्रकार पढ़ा जाए:

1	विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं. 3 एवं 4 2. दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी एवं आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरः एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के प्रयोग के अनुसार आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकतम 1% (एक प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी, जिसका अंकित मूल्य रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति शेयर है।	विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण मद सं 2. दिए जाने वाले विकल्पों की कुल संख्या और जारी ए इक्विटी शेयरः निम्नलिखित पैरा से पूर्व : ''एकल पात्र कर्मचारियों को योजना के तहत विकल्पों के किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या कंपनी व के अधिकतम 1% (एक प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति शेयर है।'' निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा : कंपनी की दोनों योजनाओं के तहत दिए जाने वाले विकल्प इक्विटी शेयरों की कुल संख्या निम्नानुसार होगी:	वं आवंटित किए जाने वाले प्रयोग के अनुसार आवंटित ही जारी इक्विटी शेयर पूंजी हो, जिसका अंकित मूल्य रु.
		विवरण	ईएसओपी पूल* (विकल्पों की संख्या)
		कंपनी की दोनों ईएसओपी योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रारंभिक ईएसओपी पूल	1,29,00,000
		आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों, प्रयोग किए गए और आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	44,80,092
		आईपीओ से पहले दिए गए विकल्पों की संख्या (प्रयोग और आवंटन के लिए लंबित)। ईएसओपी 2018 योजना के तहत - 46,12,971 और ईएसओपी 2021 योजना के तहत - 2,22,999 दोनों योजनाओं के तहत दिए गए कुल विकल्प 48,35,970 हैं।	48,35,970
		व्यपगत हुए और वापस पूल में जोड़े गए विकल्पों की संख्या	0
		आईपीओं के बाद नए अनुदान के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या	35,83,938
		*पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के अन्	नुसार ।

यदि शेयरधारकों को कोई चिंता/प्रश्न/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या यदि उपरोक्त अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने पर, उपरोक्त मामले के संबंध में पहले ही मतदान कर चके शेयरधारक अपने मतदान परिणामों को बदलना चाहते हैं. तो वे सोमवार, 04 मार्च, 2024 को या उससे पहले श्री धनराज डागर, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को ईमेलः dhanraj.d@mamaearth.in पर लिख सकते हैं या 011-44123544 पर कॉल कर सकते हैं, इसके बाद मतदान परिणामों में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा और दूरस्थ पुनर्मतदान अन्तिम माना जाएगा। पोस्टल बैलेट नोटिस के नोटिस का यह शुद्धिपत्र पोस्टल बैलेट नोटिस के नोटिस का एक अभिन्न अंग होगा जिसे पहले ही आज की तारीख से कंपनी के शेयरधारकों को प्रसारित किया जा चुका है, पोस्टल बैलेट नोटिस हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा। यह शुद्धिपत्र दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.honasa.in पर उपलब्ध है। पोस्टल बैलट नोटिस की अन्य सभी सामग्री, शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित या पुरक

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार होनासा कंज्यमर लिमिटेड धनराज डागर

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः A33308

सार्वजनिक नोटिस माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुसरण में के संबंध में वोक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

मेसर्स जेनिका परफॉर्मेंस कार्स प्राइवेट लिमिटेड 2023 का आईए नंबर 2310 मुख्य याचिका: सीपी (आईबी) संख्या 262/सीएचडी/एचआरवाई/2018

अगली तारीख: 05.03.2024 माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के आईए संख्या 2310/2023 के निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी को प्रकाशन जारी किया जा रहा है

व्यरदाताः	
उत्तरदाता का नाम	आरपी को उपलब्ध पता
आयकर विभाग	मूल्यांकन इकाई, आयकर विभाग, गुरूग्राम, हरियाणा-122001

उपरोक्त शीर्षक वाले मामले में, प्रतिवादी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेवा नहीं दी जा सकी और आरपी न प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी के लिए सेवा का एक वैकल्पिक तरीका अपनाने के लिए समय मांगा औ जेनिका परफॉर्मेंस कार्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एनसीएलटी के आदेश दिनांक 29.01.2024 के आईए संख्या 2310/2023 द्वारा इसकी अनमति दी गई है।

उपरोक्त प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट या वकील के माध्यम से निर्धारित तिथि पर ट्रिब्युनल के मौजुदा सदस्यों में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक 29.01.2024 के आदेश की प्रति के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें: https://ncltgov.in/gen_pdf.php?filepath=/Efile_Document/ncltdoc/case-|doc/0404116000082018/04/Order-Challenge/04_order-Challange_004_170745563354504176165c5b4911d30b.pdf

> राजेन्द्र कुमार जैन Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968 जेनिका पर्फोर्मन्स कार्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर ईमेल आईडीः ZENICAPERCARSCIRP@GMAIL.COM

> > मोबाईल नंबर: 9875921490

दिनांक: 01.03.2024

स्थान: चंडीगढ़

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेक

मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई— 400051 मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम)

और सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फूलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट)** का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ जारी किया गया अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस, निम्नलिखित उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चूकाने के निर्देश जारी करता है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है:

उधारकर्ताओं का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
 मिथलेश कुमार. रजत गोयल. 	22 फरवरी 2024 रु. 30,36,293/— [रुपये तीस लाख छत्तीस हजार दो सौ तिरानबे मात्र] 14 फरवरी, 2024 तक
	

वह सभी संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल संपत्ति जिसका बेयरिंग नंबर 1 और 2 नया नंबर 219—220 क्षेत्रफल 120 वर्ग माप यांड 360 वर्ग मीटर मापने वाले कूल क्षेत्रफल खसरा नंबर 735/215 से गज बाहर ग्राम सराय पीपल थला आबादी के क्षेत्र में स्थित हैं जिसे सरिया पापल थला जीटी रोड दिल्ली के नाम से जाना जाता है।

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें। भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक. उधारकर्ता यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति / संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। . यदि उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेंडिट अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) पर कब्जा करना शामिल है। लेकिन यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके और भुगतान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न करने और / या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया की पूर्वलिखित सहमति के बिना, किसी भी सरक्षित परिसंपत्ति(संपत्तियों) के निपटान या उससे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोका / निषिद्ध किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत क्रेडिट और उपरोक्त का अनुपालन न करना दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 01.03.2024 हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

केन्द्र सरकार के समक्ष

कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली-110019 सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के गामले में

शीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(3)

जाई डिजाईन एलएलपी

नंबर -674 जी / एफ, विलेज नावादा, वेस्ट दिल्ली दिल्ली—110059 में हैं, के मामले में

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि रलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में प्रधानांतरित

करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की घारा 13(3) के अतर्गत

कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिख्ली के पास

रक याचिका दाखिल करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका एलएलपी के पंजीकृत कार्योलय

संभावना हो, वह अपने हिंत के प्रमाव से संबंधित आश्रय

एवं आपति की पृष्ठगृमि को दर्शात हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपति व्यक्तिगत रूप से वा पंजीकृत इक द्वारा **कंपनी पंजीयुक, राष्ट्रीय राजधानी**

को त्र दिल्ली एण्ड हरियाणा बौधा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक्कीस दिनों के मीतर नेज सकता है और

इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी के सपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

फॉर्म नंबर आईएनसी 26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

नियम 30 के अनुसार)

केंद्र सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम,

2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड

(ए) के मामले में

मोदी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले मे

जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल सुर्या

प्लाजा, के 185/1 सराय जुलेना, न्यू फ्रेंड्स

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत

असाधारण में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में

कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव

की पुष्टि के लिए केंद्र सरकार को आवेदन

करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी को अपने

पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली' से 'पंजाब राज्य' में बदलने में सक्षम बनाने

के लिए 16 फरवरी, 2024 को आम बैठक आयोजित

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने

की संभावना है, वह या तो एमसीए–21 पोर्टल

(www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म

दाखिल करके वितरित कर सकता है या पंजीकृत

द्वारा वितरित या भेज सकता है। क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, दूसरी मंजिल, "बी–2" विंग, डॉ. दीन

दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, न्यू

दिल्ली–110003, को अपनी रुचि की प्रकृति और

विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामे द्वारा

समर्थित अपनी आपत्तियां पोस्ट करें। इस नोटिस

के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के

भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय

दिनांकः 28–02–2024 डीआईएनः 00051746

मोदी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट

लिमिटेड के लिए

हस्ता / – मनहर मोदी

निदेशक

में नीचे उल्लिखित पते पर एक प्रति भेजें: तीसरी मंजिल सूर्या प्लाजा, के-185/1 सराय

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली—110025

की गई।

जुलेना,

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

कॉलोनी, नई दिल्ली —110025, भारत पर है।

विभि : 29.02.2024

रथान : दिल्ली

कृते की ओर सं जाई बिजाईन एलएलपी

डीआईएन : 06781519

रावित राय

नामित साझेदार

याचिकाकर्ता

को जारा बैंक Canara Bank

Fire Syndicate परिसर एवं सम्पदा, अनुभाग, अंचल कार्यालय, आगरा, सेक्टर 12-ए / सीसी -1, आवास विकास, राजेंद्र सेंटर, सिकंदरा, आगरा, संपर्क- 0562-3500622, ई-मेल gacoagra@canarabank.com

मनोनयन/पैनल हेतु सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा अंचल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न कार्यों के लिए विक्रेताओं के पैनल के लिए निर्धारित प्रारूप में

1, सीसीटीवी सिस्टम 2. फायर एंड बर्गलर अलार्म सिस्टम और एक्सेस कंटोल सिस्टम फायर एक्सटिग्विशन/हाइडेट सिस्टम।

आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कार्य का विवरण इस प्रकार है-

विवरण के लिए www.canarabank.com/tenders पर लॉग ऑन करें या केनरा बैंक से उपरोक्त पते पर संपर्क करें। अतिरिक्त परिशिष्ट, शृद्धिपत्र संशोधन, स्पष्टीकरण आदि केनरा बैंक को वेबसाइट पर अपलोड किए जाएगें। दिनांक 01.03.2024 उप महाप्रबन्धक

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

इक्विटी शेयरधारकों को सूचना विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में कम्पनी के वित्त वर्ष 2016-2017 के इविवटी शेयरों और अन्तिम लाभांश से सम्बन्धित

अप्रदत्त⁄अदावाकृत लाभांश का अन्तरण एतद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों तथा यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (''नियम'') के अनुसार जिन शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (७) वर्षों या इससे अधिक समय से लाभांश प्रदत्त या दावा नहीं किये गये उनके परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के इक्विटी शेयरों को कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (''प्राधिकरण'') के डीमैट खाते में अन्तरित करना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा घोषित वित्त वर्ष 2016–17 के अन्तिम लाभांश 29 अगस्त, 2024 तक या इसके पश्चात प्राधिकरण को अन्तरित किये जाने हेतु शेष हैं। इस सम्बन्ध में वित्त वर्ष 2016–2017 के अन्तिम लाभांश से सम्बन्धित अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश भी अन्तरण

नियमों के अनुपालन में कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरधारकों के पास उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में व्यक्तिगत सुचनाएं भेज दी हैं और कथित सुचना उन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं ताकि वे इन लाभांश(शों) का दावा कर सकें। यह सूचना उनको सम्बोधित है जिनके शेयर उचित कार्यवाही करने के लिए वित्त वर्ष

2024-25 के दौरान प्राधिकरण के पास अन्तरित करने योग्य हैं। कम्पनी ने नाम, फोलियो नम्बर या डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी और प्राधिकरण के पास अन्तरण हेतु बकाये इक्विटी शेयरों सहित ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.smcindiaonline.com पर अपलोड कर दिया है। अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश तथा प्राधिकरण के पास अन्तरित करने योग्य शेयरों के विवरण की पुष्टि के लिए शेयरधारकों से कथित

वेबसाइट का सन्दर्भ लेने का निवेदन किया जाता है। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले तथा जिनके शेयर प्राधिकरण को अन्तरित करने योग्य हैं, वे सम्बद्ध शेयरधारक ध्यान दें कि कम्पनी कॉर्पोरेट कार्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कथित शेयरों को डीमैट प्रारूप में परिवर्तित करने हेतु मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी, तत्पश्चात कथित शेयर प्राधिकरण के पक्ष में अन्तरित हो जायेंगी। शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

डीमैट प्रारूप में इक्विटी शेयरधारिता के मामले में कम्पनी प्राधिकरण के पक्ष में ऐसे शेयरों के अन्तरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से शेयरधारकों के सम्बद्ध डिपॉजिटरी को सचित करेगी। यदि कम्पनी को 27 अगस्त, 2024 तक सम्बद्ध शेयरधारको से कोई सुचना नहीं प्राप्त होती है तो नियमों के अनुपालन की दृष्टि से कम्पनी नियमों के अनुपालन में बिना कोई अन्य सूचना दिये नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि को ऐसे शेयरों और लाभांश को को प्राधिकरण में

कृपया ध्यान दें कि प्राधिकरण को अन्तरित शेयरों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, ऐसे शेयरों पर समस्त लाभों, यदि कोई हो, सिहत अदावाकृत लाभांश एवं प्राधिकरण के पास अन्तरित शेयरों का दावा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके सम्बद्ध शेयरधारकों द्वारा प्राधिकरण से किया जा सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iepf.gov.in तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट https://smcindiaonline.com/ का सन्दर्भ लें।

उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दुरभाष नं. : 011-41410592-94, ई-मेल आईडी :delhi@linkintime.co.in, वेबसाइट : www.linkintime.co.in से सम्पर्क करें।

कृते एमएससी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड

(सुमन कुमार) ई.वी.पी. (कॉर्पोरेट मामले एवं विधि), कम्पनी सचिव एवं जनरल काउंसेल

तिथि : 29 फरवरी. 2024 स्थान : नई दिल्ली

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन : L74899DL1994PLCO63609) <mark>पं</mark>जीकृत कार्यालय :11/6B, शान्ति चैम्बर, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 दूरभाष :+91-11-30111000,40753333 | फैक्स : +91-11-25754365

🕏 -मेल : smc@smcindiaonline.com | वेबसाइट : www.smcindiaonline.com





कार्यालय वसूली अधिकारी-। ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 413/2019 बिक्री उद्घोषणा नोटिस

कॉर्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स शिव शंकर राइस मिल एवं अन्य बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये। **सीडी#1 मैसर्स शिव शंकर राइस मिल्स,** अरैनपुरा रोड, घरींदा, करनाल, हरियाणा

सीढी#2. श्री राजीव बंसल पुत्र श्री बाबू लाल बंसल, 25, न्यू जय भारत अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 5, सेक्टर 4, द्वारका, नर्श दिल्ली। <u>और</u> प्रथम तल और ह्वेतीय तल, छत के अधिकार के साथ, 4012—13 / 111, शारदा नंद बाजार, नया बाजार, दिल्ली — 06 सीढी#3, श्री नितिन सक्सेना, जीसी-28, हरि नगर, नई दिल्ली - 110064

. जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋ**ण वसूली अधिकरण—।। द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं 41**3/2019, **ओ ए सं 253/2015 दिनांकित 12.09.2019 के** द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु. 24,63,25,935/- (रु. चौबीस करोड़ तिरेसठ लाख पच्चीस हजार नौ सौ पैतीस मात्र) और पेंडेंटलाईट के साथ प्रतिवादी से @14.85% वार्षिक ब्याज अदायगी की तिथि तक एवं खर्च लागत भी प्रमाणपत्र देनदार से वसूली किया

जाएगा । (वसुली योग्य राशि 51.26 करोड़ रुपये (लगभग)) और जहाँ पर अधोहरताक्षी ने इस प्रमाणपत्र से संतृष्ट हो कर निम्निखितानुसार अनुसुची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। 3. सूचित किया जाता है कि स्थागन के किसी आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी के द्वारा वेबसाईट

https://www.bankeauctions.com पर "ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिर्डींग" के माध्यम से दिनांक 28.03.2024 को पूर्वाह 11.00 बजे से दोपहर. 12.00 बजे तक (दोपहर 12.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित हैं) किया जायेगा। । उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निधारित

किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है । 5. सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। किसी लॉट के नीचे गिरने पर भी बिक्री समाप्त कर दी जाएगी। बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष

प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भूगतान किए जा चुके हैं। 6 बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए अधिग्रहण अथवा प्रयास

7 आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शतों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शतों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

ा बिक्री उदघोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी बुटी, गलत

ब्यान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिए जाऐंगे। 7.2 आरक्षित मुख्य जिससे कम पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं कि जायेगी जोकि भृमि 29 कनाल 18 मारला, किला नं. 11(7-7), 19(7-12), 20/1(6-13), 22 (7-11) खेवत नं. 223, मुख्बा नं. 98 और किला नं. 2/2(0-15) मुख्बा नं. 101 और 6 कनाल 19 मारला, किला नं.

12 (6—19), खेवत नं. 455 मुख्या नं. 98, अरैनपुरा रोड, तहसील घरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित, कुल भूमि 36 कनाल 17 मरला साथ में उस पर निर्मित भवन सहित क्षेत्रफल 535 वर्ग मी. आरक्षित मूल्य रु. 13,28,00,000/- (रु. तेरह करोड अडाईस लाख मात्र) और धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रू 1,32,80,000/- (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) पैरा (।) में उहिलखित संपत्ति के 7.3 इच्छक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मृल्य से कम नहीं) के साथ में दस्तायेज जैसे पैन कार्ड, पहचान साक्ष्य और पता साक्ष्य,

वसुली अधिकारी- ।, डीआरटी- । ।, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 26.03.2024 को सांय 5.00 बजे से पहले जमा कराया होगा वे ही दिनांक 28.03.2024 को पूर्वाह. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोली यदि ई-नीलामी समाप्ति हेतु. निर्घारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई—नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट खत. बढ़ जायेगा। 🗸 4 बोलीदाता अपना बोली रु. 5,00,000 / — (रुपए पाँच लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।

7.5 असफल बोलीदाता अपनी घरोहर राशि ई—नीलामी बिक्री प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद सीधे वसुली अधिकारी— ।, खी आर टी— । ।, दिल्ली / सी एच बैंक अर्थात यूबीआई से प्राप्त कर सकते हैं।

7.6 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मुल्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-।, खी आर टी-।।, दिल्ली, खाता आर सी न. 413 / 2019 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी बंद होने के 24 घण्टे के भीतर तैयार करना होगा और धरोहर राशि क समायोजित करने के पश्चात यह ऑनलाईन निलामी के बंद होने से 24 घण्टे के भीतर वसूली अधिकारी— L डी आर टी— I L दिल्ली के कार्यालय में पहेंच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।

7.7 सफलतम 🖊 उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मृत्य का बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी—1, डी आर टी—11, दिल्ली, खाता आर** सी न. 413/2019 के पक्ष में बैंक ज़ाफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले वसली अधिकारी- |, डी आर टी- | |, दिल्ली के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15. दिन के पश्चात) ऐसा किया जाएंगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000 / – तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भूगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।। दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के

माध्यम से मेजा जाता है तो उपरोक्तानसार में वसली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए। 7.8 सफलतम / उच्चतम बोली लगाने वाले को इस मंच के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लाग टीडीएस का भगतान

करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194—आईए के प्रावधानों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में, सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को शेष बिक्री आय का भूगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

7.9 उपरोक्त समयावधि में भूगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुन: बिक्री नई उदधोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता केता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता हैं तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त

कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चककर्ता केता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो

सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा

🥦 सीएच बैंक / सीएचएफआई को यहां दिए गए विवरणों की सत्यता को प्रमाणित और सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है।

10. यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अरवीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अरबीकार करने या बिक्री प्रारथगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

			A. Comment of the com
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण,	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत् के सम्बंध में आगे आया है एवं अन कोई झात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रमाव रखता है।
भूमि 29 कनाल 18 मारला, किला नं. 11(7-7), 19 (7-12), 20/1(6-13), 22 (7-11) खेवत नं. 223, मुरब्बा नं. 98 और किला नं. 2/2(0-15) मुरब्बा नं. 101 और 6 कनाल 19 मारला, किला नं. 12 (6—19), खेवत नं. 455 मुरब्बा नं. 98, अरैनपुरा रोड, तहसील घरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित, कुल भूमि 36 कनाल 17 मरला साथ में उस पर निर्मित भवन सहित		इसत नहीं	मू-राजस्व कार्यालय में संपरि दस्तावेज में खाद्य एवं आपूरि विभाग, करनाल हरियाणा क प्रभार नोट किया गया है।
	•	3525 59	हस्ता/- (उत्तम ने

वसुली अधिकारी-। डीआरटी-।। दिल्ली





नई दिल्ली

मेरे समक्ष दिनांक 13-02-2024 को मोहर किया गया